न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 02/2019

उनवान

1 छीतर पुत्र स्व0 नाथू जाति जाट निवासी ग्राम खोरालाड़खानी तहसील शाहपुरा

वादीगण

बनाम

1 मोहनलाल
2 बाबूलाल
3. राजेन्द्र
} पि0 स्व0 बोदूराम जाति जाट निवासी ग्राम खोरालाड़खानी तह0 शाहपुरा

4 सजना देवी पुत्री बोदूराम पत्नि बोदूराम जाति जाट निवासी ग्राम रतनपुरा तह0 जमवारामगढ

5 विमला देवी पुत्री बोदूराम पत्नि कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम रतनपुरा तह0 जमवारामगढ

6 सरोज देवी पुत्री स्व0 बोदूराम पत्नि श्री सुनील
7 सुमनदेवी पुत्री स्व0 बोदूराम पत्नि श्री अनील
जाति जाट निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
8 पांची देवी पत्नी स्व0 बोदूराम
9 धीसा पुत्र स्व0 नाथू
जाति जाट निवासी ग्राम खोरालाड़खानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
10 आई डी बी आई बैंक शाखा निम्न शोभा नगर जयपुर
11 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाड़खानी
12 एस बी आई बैंक शाखा अजीतगढ़ तहसील श्री माधोपुर
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित – श्री दीपक शर्मा एड0 वादी
श्री रामगोपाल कुमावत एड0 प्रतिवादी

वाद बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर टी ए

आदेश दिनांक 13.03.2019

1 उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण में वादी की ओर से वाद पत्र पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 879 रकबा 0.88 है0 भूमि वाके ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी सं0 1 के नाम 31/88 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के पिता के व प्रतिवादी सं0 8 के नाम 57/176 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 9 के नाम 57/176 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। खातेदार बोदूराम के देहान्त 26.6.2016 को होने पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया हैं तथा खातेदार बोदूराम के वारिसान उनके बहमी बंटवारे में आई भूमि पर उनके हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 8 काबिज होकर काश्त कर उपभोग उपयोग कर रहे है। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 8 के पिता/पति व वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 9 के मध्य पूर्व से ही बाहमी बंटवारा हो रखा था । बहमी बंटवारे के आधार पर ही वादी /प्रतिवादी अपने हिस्से पर मकान भी बना रखे हैं । बहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि को वाद के साथ नजरी नक्शे में वादी के बैंगनी रंग से तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा08 के गुलाबी रंग से व प्रतिवादी सं0 9 के लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। शामिल खातेदारी भूमि को विकसित करने में कई कानूनी अड़चन होने तथा

जमवारामगढ

5 विमला देवी पुत्री बोदूराम पत्नि कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम रतनपुरा तह0 जमवारामगढ

6 सरोज देवी पुत्री स्व0 बोदूराम पत्नि श्री सुनील

7 सुमनदेवी पुत्री स्व0 बोदूराम पत्नि श्री अनील

जाति जाट निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

8 पाची देवी पत्नी स्व0 बोदूराम

9 सीला पुत्र स्व0 नाथू

जाति जाट निवासी ग्राम खोरालाड़खानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

10 आई डी बी आई बैंक शाखा निम्न शोभा नगर जयपुर

11 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाड़खानी

12 एस बी आई बैंक शाखा अजीतगढ़ तहसील श्री माधोपुर

13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित – श्री दीपक शर्मा एड0 वादी

श्री रामगोपाल कुमावत एड0 प्रतिवादी

वाद बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर टी ए

आदेश दिनांक 13.03.2019

1 उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण में वादी की ओर से वाद पत्र पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 879 रकबा 0.88 है0 भूमि वाके ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी सं0 1 के नाम 31/88 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के पिता के व प्रतिवादी सं0 8 के नाम 57/176 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 9 के नाम 57/176 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। खातेदार बोदूराम के देहान्त 26.6.2016 को होने पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है तथा खातेदार बोदूराम के वारिसान उनके बहमी बंटवारे में आई भूमि पर उनके हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 8 काबिज होकर काश्त कर उपभोग उपयोग कर रहे है। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 8 के पिता/पति व वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 9 के मध्य पूर्व से ही बहमी बंटवारा हो रखा था । बहमी बंटवारे के आधार पर ही वादी /प्रतिवादी अपने हिस्से पर मकान भी बना रखे हैं । बंहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि को वाद के साथ नजरी नक्शे में वादी के बैंगनी रंग से तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा08 के गुलाबी रंग से व प्रतिवादी सं0 9 के लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। शामिल खातेदारी भूमि को विकसित करने में कई कानूनी अड़चन होने तथा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

सीवं डोल की बातों को लेकर आपस में विवाद होने के कारण यह दावा बंटवारा को पेश किया गया है।

2\. वाद पत्र विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु अवसर दिया गया । प्रतिवादीगण सं0 1 व 9 स्वंय उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी सं0 2 लगा 8 की ओर से श्री रामगोपाल कुमावत एडवोकेट ने वकालत नामा पेश कर बंटवारा हेतु प्राथमिक डिकी किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर दिनांक 29.1.2019 को दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को खातेदारान के दर्ज हिस्से अनुसार खातेदारों की उपस्थिति में राजस्व बोर्ड के नियमो को ध्यान मे रखते हुए सरस नरस के आधार पर बंटवारा रिपोर्ट कुर्रेजात तैयार करने हेतु आदेशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 7.3.2019 को प्राप्त होने पर आज दिनांक 13.03.2019 को पक्षकारान ने बंटवारा रिपोर्ट उनके बहमी बंटवारा अनुसार होना स्वीकार किया तथा बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया ।

3\. अतः दावा मुताबिक बंटवारा रिपोर्ट तथा राजीनामा अनुसार अन्तिम डिकी किया जाता है कि आराजी ख0नं0 879 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम खोरालाड़खानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार से बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 के हिस्से /बंटवारे में ख0नं0 879/1 रकबा 0.2850 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

2. प्रतिवादी सं0 9 के हिस्से /बंटवारे में ख0नं0 879/2 रकबा 0.2850 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

3. वादी सं 1 के हिस्से /बंटवारे में ख0नं0 879/3 रकबा 0.31 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

पक्षकारान की भूमि संबंधित बैंक के नाम रहन हिस्से में आये अनुसार यथावत रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे । पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

उप खण्ड अधिकारी
([illegible] मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर